कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रुखाबाद।

संख्यांक/बेसिक/ जू0हा0 स्कूल (अंग्रेजी माध्यम)/1507-14 /2017–18/ दिनांक: 6-6-17

प्रबंधक :

जे0 एस0 एम0 पब्लिक स्कूल कमालगंज विकास क्षेत्र कमालगंज, *फर्रुखाबाद*

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक में सूचित करना है कि शासन के निर्गत अंग्रेजी माध्यम के शासनादेश सं0–419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 द्वारा प्राविधानित मान्यता शर्तो एवं मानकों के क्रम में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनाँक–15–05–2017 में विचार किया गया तथा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में आपके विद्यालय में यदि कोई तथ्य गलत,असत्य अथवा गोपन पाया जाता है तथा विभागीय नियम निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो बिना किसी पूर्व सूचना के मान्यता आदेश निरस्त करने की कार्यवाही कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका एवं संस्था प्रबन्ध समिति का होगा।

अतएव नवीन नर्सरी से कक्षा 08 की मान्यता दिये जाने के लिए आपके तारीख–22–08–2016 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार एवं निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रुखाबाद ,(जे0 एस0 एम0 पब्लिक स्कूल कमालगंज विकास क्षेत्र कमालगंज, *फर्रुखाबाद*) को तारीख 1–4–2017 से तारीख 31–3–2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए (अंग्रेजी माध्यम) कक्षा–नर्सरी से कक्षा –08 तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने से अध्यधीन है:–

1– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा नर्सरी से 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3–विद्यालय में कक्षा नर्सरी से 8 में (*या यथास्थिति, कक्षा में*), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4– पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खांता रखेगा।

5– सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6– विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:–

(1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(2) किसी भी बालक/बालिका को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान दिया जाएगा।

J.S.M. Public School ★ Kamalganj-Distt. Farrukhabad ★

Self Attested

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(6)अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है; और

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

(7) विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

(8) विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं।

विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर मे)	8094 वर्गमीटर
विद्यालय का कुल निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर मे)	1510 वर्ग मीटर
कीडा स्थल का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर मे)	6584 वर्ग मीटर
कक्षाओं की कुल संख्या	शिक्षण कक्ष सं0–10
प्राध्यापक–सह कार्यालय–सह भांडागार के लिए कक्ष अन्य कक्षों की संख्या	05
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	04 बालक एवं 4 बालिकाओं हेतु शौचालय उपलब्ध है।
पेय जल सुविधा	हैण्डपम्प विद्यालय में लगा है तथा प्रयोग में लाया जाता है।
मिड डे मील पकाने के लिए रसोई	योजना लागू नहीं है।
बाधा रहित पहुँच	उपलब्ध है।
अध्यापन पठन सामग्री/ कीडा खेल कूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता	संस्था में अध्यापन पठन सामग्री/ कीडा खेल कूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता है।

(9) विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता की कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

(10) विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

(11) विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

(12) स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगठन या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

(13) विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

(14) आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक (उ0प्रा0वि02017–18...12) है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

(15) विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

(16) सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सदैव नवीकृत रखना सुनिश्चित कियाजाए।

17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्तों का विवरणः–

1. विद्यालय की प्रबन्ध समिति का पँजीकरण/प्राभूत कोष/सुरक्षित कोष/अग्नि शमन उपकरण का प्रमाण पत्र नवीकृत रखा जाय।
2. छात्र/छात्राओं से निर्धारित शुल्क लिया जाय। भवन शुल्क/कैपीटेशन शुल्क आदि अनाधिकृत धनराशि की बसूली न की जाय।
3. विद्यालय से संबन्धित वित्तीय लेखा–जोखा का रख–रखाव किसी अनुसूचित बैंक में किया जाय और अभिलेखों को विद्यालय में रखा जाय तथा निरीक्षण के समय निरीक्षण अधिकारियों से

J.S.M. Public School Kamalganj-Distt. Farrukhabad

Self Attested

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

अवलोकित कराया जाय, इसके अतिरिक्त विभाग को वांछित सूचनाओं को समय–समय पर प्राप्त कराया जाय।

4. विद्यालय के प्रबन्धक/प्रबन्धतंत्र द्वारा शिक्षकों की सेवा नियमावली 1981 को दृष्टिगत रखते हुए योग्यता के साथ टी0ई0टी0/प्रशिक्षित अध्यापक ही रखने की सूचना दी जाय। और प्रबन्धक द्वारा अपने निजी स्रोतों से प्रशिक्षित अध्यापकों को वही वेतनमान व अन्य भत्ता आदि देने होंगे जोकि परिषद के समान अर्हता वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं को दिये जा रहे होंगे।

5. विद्यालयों में शासनादेश संख्या–एम0एस0–10/सत्तर–5–2004–59/2004 दिनांक–28–9–2004 के क्रम में अग्निशमन की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कर सदैव क्रियाशील रखा जाये तथा अग्नि सुरक्षा से संबन्धित चेकलिस्ट के बिन्दुओं के बारे में समय–समय पर छात्र एवं अध्यापकों को बचाव हेतु प्रशिक्षण कराया जाय और अवगत कराया जाय तथा विद्यालय भवन को नेशलन बिल्डिंग कोड में प्राविधानिक मानकों के अनुरूप सदैव क्रियाशील बनाये रखा जाय।

6. विद्यालय भूमि एवं भवन की व्यवस्था विद्यालय के नाम से निजी करा ली जाय ।

7. विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों को बिना बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की पूर्व अनुमति के न तो निष्कासित जाय और न ही पदच्युत किया जाय। तथा विद्यालय भवन एवं प्रांगण को अन्य प्रयोजन में न लाया जाय।

8. विद्यालय के प्रबन्धतंत्र का यह दायित्व होगा कि वे बेसिक शिक्षा परिषद अधिनियम के नियमों एवं उपबन्धों साथ ही तत्समय एवं समय–समय पर जारी किये गये आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

9. विद्यालय में छात्रों के चरित्र निर्माण संम्बन्धी राष्टीय एकता/राष्टीय ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म सम्भाव के साथ मानवीय मूल्यों की सम्प्राप्ति हेतु जारी आदेशों का अनुपालन करने के साथ परिषद द्वारा निहित पाठ्य पुस्तकों के अनुसार शिक्षा दी जायगी।

10. विद्यालय में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी में होगी। हिन्दी विषय अनिवार्य रूप से पढाई जायेगी। विद्यालय में अमान्य पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायगा। विद्यालय में सभी वर्ग/जाति/धर्म के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा।

11. अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 08 तक के विद्यालय भवन एवं भूमि में अनाधिकृत रूप से अन्य प्रकार की कक्षाऐं 1 से 08/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आदि कक्षाऐं कदापि संचालित न की जाय और न ही सम्बद्ध किया जाय।

भवदीय,

(संदीप चौधरी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
फर्रूखाबाद।

पृ0सं0 व दिनांक उक्तवत्। 1507–14

प्रतिलिपि निम्नॉकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0) कानपुर मण्डल कानपुर।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी फर्रूखाबाद।
3. जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी फर्रूखाबाद।
4. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी फर्रूखाबाद।
5. जिला विकलांग कल्याण अधिकारी फर्रूखाबाद।
6. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रूखाबाद।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित नगर क्षेत्र/विकास क्षेत्र फर्रूखाबाद।

(संदीप चौधरी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
फर्रूखाबाद।

J.S.M. Public School
Kamalganj-Distt. Farrukhabad

Self Attested

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रुखाबाद ।

संख्यांक /बेसिक/ मान्यता प्रमाण पत्र / 8650-55 /2021-22/दिनांक : 31/3/2021

प्रबंधक:

जे0एस0एम0 पब्लिक स्कूल, कमालगंज फ़र्रुखाबाद|

विषय :- निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम चार के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र |

महोदय

उपयुक्त विषयक में सूच्य है की आपके प्रेषित प्रार्थना पत्र के क्रम में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंग्रेजी व हिंदी माध्यम की मान्यता हेतु शासन के निर्गत शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18 (20)/91 दिनांक 8 मई 2013 एवं शासनादेश संख्या 418/79-6-2013-18 एस (07)/89 दिनांक 8 मई 2013 द्वारा प्रदत्त मान्यता शर्तें एवं मानक क्रम में आप द्वारा इस आशय का शपथ पत्र के साथ प्रार्थनापत्र दिया गया है कि आप द्वारा मान्यता की शर्तें एवं मानक पूर्ण किए जा रहे हैं | खंड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र कमालगंज, जिला फ़र्रुखाबाद आख्या एवं संस्तुति के क्रम में आपकी संस्था को कक्षा नर्सरी से 08 तक अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है परंतु यदि कोई गलत तथ्य प्रकाश में आता है या विभागीय नियम निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो यह मान्यता प्रमाणपत्र आदेश बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त माना जाएगा |

भवदीय
31/3/2021
(लालसिंह यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फर्रुखाबाद|

पृ0सं0 दिनांक उक्तवत |

प्रतिलिपि निम्न कित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1- जिला समाज कल्याण अधिकारी फर्रुखाबाद |
2- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी फर्रुखाबाद |
3- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी फर्रुखाबाद |
4- जिला विकलांग कल्याण अधिकारी फर्रुखाबाद |
5- खंड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र कमालगंज जिला फर्रुखाबाद |

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फर्रुखाबाद|

J.S.M. Public School Kamalganj-Distt. Farrukhabad

Self Attested

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner